एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
ब्लाक नं.14, शक्ति भवन, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर – 482 008

वार्ड बॉय की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति

क.मु.महा.(मा.संसा.)/   जबलपुर, दिनांक

एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लिमि. जबलपुर चिकित्सालय में वार्ड बॉय के रिक्त पदों के विरूद्व निम्नानुसार 05 वार्ड बॉयं की अनुबंध आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

कमांक	पदनाम	सामान्य श्रेणी	अनु.जाति	अनु. जनजाति	योग
1	वार्ड बॉय	03	01	01	05

2.आरक्षण–

म.प्र.के मूल निवासियों के अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार नियुक्ति की पात्रता होगी।

3.आवश्यक शैक्षणिक योग्यता–

आठवीं पास, एवं किसी चिकित्सालय से संबंधित कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।

- ।

4.**आवेदन की प्रकिया–(निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें)**

4.1 आवेदन पत्र कंपनी की वेबसाईट www.mppmcl.com से डाऊनलोड कर सकते है।

4.2 आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग को 200/–एवं अनु.जाति एवं अनु.जनजाति वर्ग के आवेदक को 100/– देय है जो बैंकर्स चैक,ड्राफट या पोस्टल आर्डर के रूप में क्षेत्रीय लेखाधिकारी (के.ले.ई.)म.प्र.पावर मैने.कं लिमि.जबलपुर के नाम से देय होगा।

4.3 आवेदन पत्र भरकर मांगे गये दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी,,एम.पी.पी. एम.सी.एल. चिकित्सालय, जबलपुर के पते पर दिनांक 12–.2–.2014 तक कार्यालयीन समय 5.00 सायं तक जमा किये जा सकते है।

4.4 आयु सीमा– आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 63 वर्ष होनी चाहिये ।

4.5 आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखः–

अ आठवीं पास, अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि।

ब. जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र /8वीं कक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि ।

स. पासपोर्ट साईज की फोटो आवेदन पत्र में चिपकायें।

द किसी संस्थान में कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित छायाप्रति।

5. **चयन प्रकिया**–

पात्र पाये गये उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा जिसकी सूचना समय पर दी जावेगी ।

6. **चयन एवं नियुक्ति**–

उम्मीदवारों का चयन वरीयता के अनुसार साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर किया जायेगा। चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा नियुक्ति अनुबंध के आधार पर दी जावेगी।

7. **पारिश्रमिक**–

अनुबंध के आधार पर नियुक्त वार्ड बॉय को रूपये 5000/– एकमुश्त अनुबंध राशि प्रतिमाह देय होगी।

8. नियम एवं सेवा शर्ते–

कंपनी चिकित्सालय में वार्ड बॉय के रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने बाबत नियम एवं शर्ते

- 1 आवेदक की शैक्षणिक योग्यता/अर्हता संबंधित पद के लिये कंपनी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता /अर्हता के अनुसार होगी ।
- 2 कंपनी/राज्य शासन/केन्द्र शासन/सेना के चिकित्सालयों से सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- 3 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिये आवेदक की आयु की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्रमशः 21 वर्ष एवं 63 वर्ष होगी।
- 4 आवेदक का चरित्र उत्तम होना आवश्यक है । आवेदक को नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ पत्र रूपये 10/– के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा कि उसका चरित्र उत्तम है और उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं हैं एवं किसी भी प्रकरण में उसे कोई सजा/दंड नहीं दिया गया है
- 5 आवेदक किसी विभाग से बर्खास्तशुदा कर्मचारी नहीं होना चाहिये।
- 6 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।
- 7 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के पूर्व, आवेदक को इस आशय का घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि आवेदक भविष्य में उक्त अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के आधार पर कंपनी में नियमित नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
- 8 अनुबंध राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 9 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की अवधि दो वर्ष होगी ।
- 10 अनुबंध के आधार पर नियुक्त वार्ड बॉय को केवल साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जावेगा उसे आकस्मिक, अर्जित या अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी। साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अनुपस्थिति के दिवसों हेतु मासिक अनुबंध राशि में से आनुपातिक राशि की कटौती की जावेगी।
- 11 अनुबंध के आधार पर नियुक्त वार्ड बॉय व्यक्ति संबंधित चिकित्सालय/औषधालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे एवं उनके निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे।
- 12 बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 07 दिनों तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुबंध नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी ।
- 13 उपलब्ध होने पर कंपनी परिसर में आवास गृह मंडल के कर्मचारियों द्वारा देय किराये पर आवंटित किया जा सकता है, जिसकी कटौती अनुबंध राशि में से की जायेगी। विद्युत खपत का निर्धारित दर पर देयक के अनुसार भुगतान करना होगा। अंतिम माह की अनुबंध राशि के भुगतान पूर्व कर्मचारी को आवंटित आवास गृह (यदि आवंटित हुआ हो) खाली करना होगा।
- 14 नियोजित व्यक्ति को चिकित्सालय/औषधालय की आवश्यकतानुसार सामान्य या शिफ्ट में कार्य करना होगा।
- 15 मादक एवं उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने, असामाजिक कार्यों में लिप्त पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता करने पर संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- 16 यदि नियोजित व्यक्ति द्वारा कोई क्षति/टूट–फूट की जाती है तो अनुबंध राशि में से नुकसान राशि की कटौती की जावेगी।
- 17 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह या शेष अनुबंध अवधि जो भी कम हो की अनुबंध राशि का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- 18 किसी भी विवाद की स्थिति में नियोक्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 19 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की अवधि में कायालयीन कार्य से यात्रा करने पर उसे समकक्ष पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारी के अनुसार निर्धारित यात्रा भत्ता देय होगा।
- 20 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कंपनी के चिकित्सालय/औषधालय में स्वास्थ्य परीक्षण करवाना होगा, चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता होगी।
- 21 अनुबंध के आधार पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।

- 22 अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होगा।
- 23 अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की अवधि में नियुक्त व्यक्ति को कंपनी के चिकित्सालय में चिकित्सा परामर्श एवं केवल उपलब्ध औषधियां प्राप्त हो सकेंगी ।
- 24 नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात आवेदक 100 रूपये के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुबंध निष्पादन पर होने वाला व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।

9. अंतिम तिथि–

आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 12.02.2014 है।

- **सामान्य निर्देश–**

1.उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये।

2.कंपनी/राज्य शासन/अर्ध्दशासकीय/पब्लिक सेक्टर में कार्यरत उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में उन्हें साक्षात्कार की पात्रता नहीं होगी।

3.समस्त अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के उम्मीदवारों को आने–जाने का रेल/बस यात्रा किराया न्यूनतम दूरी का देय होगा। जिस हेतु उन्हें जाति प्रमाण पत्र एवं की गई यात्रा का प्रमाण (टिकिट) प्रस्तुत करना होगा।

4.किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में प्रकरणों का निपटारा जबलपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया जायेगा।

5.उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ।

6.उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

7.दर्शाई गई रिक्तियां अनुमानतः है जो कि कंपनी की आवश्यकतानुसार बदली जा सकती है। कंपनी को रिक्तियां भरने का अथवा नहीं भरने का अधिकार होगा।

8.यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत/असत्य पाई जाती है तो उस स्थिति में उनका चयन एवं नियुक्ति बिना किसी कारण बताये निरस्त की जा सकती है ।

9.आवेदन पत्र को लिफाफे में रखकर निम्न पते पर प्रेषित करें–

मुख्य चिकित्साधिकारी,
एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लिमि.चिकित्सालय,
रामपुर,जबलपुर पिन कोड 482 008

मुख्य चिकित्साअधिकारी

एम पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर

नवीनतम पासपोर्ट फोटो संलग्न करें

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,
मुख्य चिकित्साधिकारी,
एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लिमि.चिकित्सालय,
ज्बलपुर।

विषय– अनुबंध आधार वार्ड बॉय के पद हेतु आवेदन पत्र।

- पद का नाम ——————————————
- आवदक का नाम ——————————————
- पिता/पति का नाम ——————————————
- पूरा पता (पत्र व्यवहार हेतु) ——————————————
  ——————————————
  दूरभाष क्र.——————मोबा.नं..————————
  ई–मेल आईडी ——————————————
- शैक्षणिक योग्यता —————————————— अन्य
  तकनीकी योग्यताएं ——————————————
- जन्म तिथि (अंकों में) ———/———/——————
  जन्म तिथि (शब्दों में) ——————————————
- वार्ड बॉय के पद पर कार्य के अनुभव का विवरण ——————————————
- उस चिकित्सालय का नाम जहां वर्तमान में कार्यरत है– ——————————————

  10.क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उम्मीदवार है, यदि हां तो जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। ————————————

11\. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी है, यदि हां तो प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। ————————————

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान नाम–

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दिया गया विवरण सही है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है । यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी विधिक कार्यवाही के निरस्त कर दी जावे ।

दिनांक **आवेदक के हस्ताक्षर**
स्थान **नाम–**

प्रपत्र–एक

आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

शपथ–पत्र

(रूपये 10/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रतिपादित करें।)

मै––––––––––––––––––––––––––––––– आत्मज/आत्मजा/पत्नी –––––––––––––––––––––––––––––––निवासी–––––––––––––––––––––– शपथकर्ता, शपथपूर्वक कथन करता हूं/करती हूं किः–

- यह कि मै ––––––––––––––––––––––––– (चिकित्सालय का नाम) –––––––––––––––––––––––––– (स्थान) –––––––––––––म ––––––––––––––––– (पद का नाम) के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर रही हूं।
- यह कि मेरा चरित्र उत्तम हैं और मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है एवं किसी भी प्रकरण में न्यायालय द्वारा मुझे कोई सजा/दंड नहीं दिया गया हैं ।
- यह कि मेर चरित्र के संबंध में, कोई विपरीत जानकारी प्राप्त होने पर, मुझे अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अनुबंध नियुक्ति होने के उपरांत, प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होने पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
-

(शपथकर्ता)

सत्यापन

मै––––––––––––––––––––––––––––आत्मज –––––––––––– –––––– –––––––––– निवासी ––––––––––––––––––––––– सत्यतापूर्वक सत्यापन करता हूं कि उपरोक्त कंडिका–1 से 3 तक के कथन मेरी स्वयं की जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

––––––––––––––––––––

(शपथकर्ता)

दिनांक ––––––––––––––––––––

स्थानः ––––––––––––––––––––

गवाह

1. ––––––––––––––––––––––

2. ––––––––––––––––––––––

प्रपत्र–दो

आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा–पत्र

घोषणा पत्र

मै ———————————————————आत्मज—————————————— निवासी ——————————————————————————————————————यह घोषणा करता हूं किः–

यह कि मैने ———————————————————————————— (चिकित्सालय का नाम) —————————————————— (स्थान) में ————————————— (पद का नाम) के पद पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है।

- यह कि मुझे यह ज्ञात है कि यह अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इस नियुक्ति के आधार पर मै एम.पी. पावर मैनेजमेंट कं.लिमि. में नियमित नियुक्ति हेतु दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा।

——————————————————

हस्ताक्षर

दिनांक—————————————————— नाम ——————————————————

स्थानः —————————————————— पता ——————————————————

————————————————————

—————————————————

Samvids appli pro

प्रपत्र–तीन

अनुबंध

यह अनुबंध एक पक्ष के रूप में श्री ——————————————— आत्मज——————————————————————————आयु———निवासी ——————————————————————————— और द्वितीय पक्ष के रूप में मुख्य/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी,एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. चिकित्सालय ————————————के मध्य —————————— पद की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिनांक ——————————— को निष्पादित किया गया।

नियोजक ने आदेश कमांक ———————————————————————— दिनांक ——————————में दर्शाये गये नियम एवं शर्तो के अनुसार श्री ——————————————————को एम.पी.पावर मैनेजमेंट कं.लिमि. चिकित्सालय में ——————————— के पद पर अनुबंध के आधार पर कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया है एवं कर्मचारी उक्त पद पर उल्लेखित नियम एवं शर्तों के आधार पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिये सहमत है ।

अब दोनों पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति हैः–

(अ)दोनो पक्ष आदेश कमांक ———————— —————दिनांक ————————— में दर्शाये गये नियमों एवं शर्तों स आबद्ध होंगे और कर्मचारी द्वारा उक्त नियमों में से किसी का भी उल्लंधन कदाचार समझा जायेगा।

(ब) कर्मचारी को नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा सेवा में माना जाएगा और तदनुसार मासिक अनुबंध के आधार पर राशि का भुगतान किया जायेगा।

(स) इस अनुबंध के संबंध में किसी भी विवाद की दशा में केवल जबलपुर स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगीं।

(द) किसी कदाचार या किसी अपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा की वह ऐसे अनुबंधित कर्मचारी की अनुबंध के आधार पर सेवा समाप्त कर दें।

इसके साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षों ने इस अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर के सामने कमशः उल्लेखित तारीख तथा वर्ष पर हस्ताक्षर किए।

साक्षी | पक्ष
(एक) हस्ताक्षर ——————————— (पक्ष एक) हस्ताक्षर ———————————

नाम ——————————————— नाम ———————————————

पता ——————————————— पिता ———————————————

———————————————

(दो) हस्ताक्षर —————————— (पक्ष दो) हस्ताक्षर —————————

नाम ——————————————— नाम ———————————————

पता ——————————————— पता ———————————————

———————————————
———————————————